राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 1955/2012/उदयपुर
2. अपील संख्या 1956/2012/उदयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त–सी, उदयपुर।
.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स सोना इन्जिनियर्स प्रा0लि0, उदयपुर।
.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित :

श्री आर.के.अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक
प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित
.....विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक : 05.04.2017

निर्णय

1. उपर्युक्त दोनों अपीलें अपीलार्थी विभाग की ओर से उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिन्हें आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा की धारा 26 के अन्तर्गत पारित आदेशों के जरिये कायम की गयी मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 30.05.2012 द्वारा पुष्टि किये जाने को अधिनियम की धारा 83 के अन्तर्गत विवादित किया है। उनका विवरण निम्न तालिका अनुसार है :–

अपील सं.	अपी.अधि. की अपी. सं.	कर निर्धा. आदेश दिनांक	विवादित कर राशि
1955/12	35/वेट/11–12	31.03.11	6,90,138
1956/12	88/वेट/11–12	31.03.11	6,90,138

2. इन दोनों प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनकों एक ही आदेश से निर्णित किया जाकर निर्णय की मूल प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा लेकसिटी माल में बिल्डिंग निर्माण में इलेक्ट्रिक संबन्धी कार्य किया गया, जिस पर सशक्त अधिकारी ने 1.5 प्रतिशत के स्थान पर 3 प्रतिशत से ई0सी0 जारी की, सशक्त अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा सहवन से दो अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की, जिनको निस्तारित करते हुए अपीलीय अधिकारी ने अपनी अपील संख्या 35 को स्वीकार किया एवं अपील संख्या 88, जो कि दुबारा प्रस्तुत हो गई थी, को सारहीन होन के कारण खारिज किया।, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपीलें अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि व्यवहारी द्वारा लेकसिटी माल में बिल्डिंग विनिर्माण में इलेक्ट्रिक सम्बन्धि कार्य किया गया, जिस पर सशक्त अधिकारी ने 1.5 प्रतिशत के स्थान पर 3 प्रतिशत से ई0सी0 जारी की है जो अविधिक है, विद्वान अभिभाषक ने राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.12(63) एफडी/ टैक्स/2005–80 दिनांक 11.08.2006 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि इस अधिसूचना की सूची के

लगातार.....2

क्रमांक 2 के अनुसार अपीलार्थी का 1.5 प्रतिशत की दर से विमुक्ति शुल्क चुकाने का दायित्व बनता है, क्योंकि अपीलार्थी द्वारा बिल्डिंग से संबंधित कार्य किया गया है। अतः उक्त आधारों पर उन्होंने प्रस्तुत अपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया।

6. अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

7. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। प्रस्तुत प्रकरणों में व्यवहारी द्वारा लेकसिटी माल में बिल्डिंग विनिर्माण में इलेक्ट्रिक सम्बन्धि कार्य किया गया, जिस पर सशक्त अधिकारी ने 1.5 प्रतिशत के स्थान पर 3 प्रतिशत से ई0सी0 जारी की। सशक्त अधिकारी ने अपीलीय अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर सहवन से दो अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की, जिनको निस्तारित करते हुए अपीलीय अधिकारी ने अपने समक्ष लम्बित अपील संख्या 35/वेट/11–12 को स्वीकार किया एवं अपील संख्या 88/वेट/11–12 जो कि सहवन से व्यवहारी द्वारा दूसरी बार प्रस्तुत हो गई थी, को सारहीन होन के कारण खारिज किया। जिस पर आदेश अपेक्षित नहीं है क्योंकि अपीलीय अधिकारी के समख भी उक्त अपील अस्तित्व विहीन थी अतः इस आधार पर अपील संख्या 88/11–12 को सारहीन निस्तारित किया जाता है।

8. जहां तक अपील संख्या 35/वेट/11–12 का प्रश्न है राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 2005–80 दिनांक 11.08.2006 के अवलोकन से स्पष्ट है कि भवनों से सम्बन्धित कार्य संविदा पर कर मुक्ति शुल्क 1.50 प्रतिशत अधिसूचित है। चूंकि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा लेकसिटी मॉल की बिल्डिंग निर्माण से इलेक्ट्रिक से सम्बन्धित संविदा कार्य किया है। अतः अपीलीय अधिकारी के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं होने से इसकी पुष्टि की जाती है।

9. उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलीय अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से उसको यथावत रखा जाता है एंव अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती है।

निर्णय प्रसारित किया गया ।

5.4.2012

(मदन लाल)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष